

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 199/2016

दायर दिनांक: 23/08/2016

उनवान

1. कमलाबाई आयु 52 वर्ष पुत्री गोबर्या जाति खटीक निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादिया

बनाम

1. नन्द किशोर अविवाहित फोट पुत्र गोबर्या जाति खटीक।
2. देवकिशन पुत्र गोबर्या जाति खटीक।
3. राधाकिशन पुत्र गोबर्या जाति खटीक।
4. अणदीबाई बेवा गोबर्या जाति खटीक निवासीगण खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश शर्मा

आदेश

दिनांक : 23/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 25 की ख०नं० 158 की 0.10 है०, ख०नं० 159 की 2.12 है० ख०नं० 160 की 0.05 है०, ख०नं० 161 की 0.37 है०, ख०नं० 162 की 0.20 है० कुल 5 कित्ता की 2.84 है० भूमि वादिया व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 के पिता गोबर्या पुत्र बिरधा के खाते दर्ज चली आ रही थी। जिसके नवीन नं० ख०नं० 159 रकबा 2.12 है०, ख०नं० 160 रकबा 0.05 है० 161 की 0.37 है० ख०नं० 162 की 0.20 है० ख०नं० 483/158 रकबा 0.10 है० बनाये है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 एवं नकल नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी खातेदार गोबर्या पुत्र बिरधा जाति खटीक के खाते दर्ज चली आ रही थी। गोबर्या के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 24.02.1996 से मृतक गोबर्या के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज हो गई, जबकि गोबरिया के वारिसयान में वादिया कमलाबाई भी थी, जिसका नाम

प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 ने मिलीभगत करके नहीं आने दिया और नवीन जमाबन्दी 2070 से 2073 में भी वादिया का नाम अंकित नहीं है। जबकि वादिया भी मृतक गोबर्या की वेध वारिस है।

वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय 12.06.2019 से नामा. संख्या 69 दिनांक 24.02.1996 खारिज किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/778 दिनांक 06.08.2019 से विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः विवादित आराजी ग्राम खेडलीगंज की खाता संख्या 87 ख0नं0 159 रकबा 2.12 है0 ख0नं0 160 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 161 रकबा 0.37 है0 ख0नं0 162 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 483/158 है0 रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 2.84 है0 विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादिया कमलाबाई पुत्री गोबर्या जाति खटीक सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
159 उत्तर	0.71	नहरी 1	15.65
कित्ता 1	0.71		15.65

2. प्रतिवादी क्रम 2 ल 4 देवकिशन, राधाकिशन पुत्र गोबर्या लाल, आणदी बाई पत्नि स्व0 गोबरीलाल कोम खटीक सा0 देह रहन BOB शाखा अटरू हि0 देवकिशन आणदी बाई खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
159 दक्षिण	1.41	नहरी 1	31.02
160 दक्षिण	0.05	नहरी 1	1.10
161	0.37	नहरी 1	8.14
162	0.20	नहरी	4.40
483/158 पश्चिम	0.10	नहरी1	2.20
कित्ता 5	2.13		46.86

तहसीलदार अटरू राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इत्दाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 199/2016

उनवान

1. कमलाबाई आयु 52 वर्ष पुत्री गोबर्या जाति खटीक निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. नन्द किशोर अविवाहित फोट पुत्र गोबर्या जाति खटीक।
2. देवकिशन पुत्र गोबर्या जाति खटीक।
3. राधाकिशन पुत्र गोबर्या जाति खटीक।
4. अणदीबाई बेवा गोबर्या जाति खटीक निवासीगण खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश शर्मा।

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खेडलीगंज की खाता संख्या 87 ख0नं0 159 रकबा 2.12 है0 ख0नं0 160 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 161 रकबा 0.37 है0 ख0नं0 162 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 483/158 है0 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.84 है0 विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादिया कमलाबाई पुत्री गोबर्या जाति खटीक सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
159 उत्तर	0.71	नहरी	1 15.65
किता 1	0.71		15.65

2. प्रतिवादी कम 2 ल 4 देवकिशन, राधाकिशन पुत्र गोबर्या लाल, आणदी बाई पत्नि स्व0 गोबरीलाल कोम खटीक सा0 देह रहन BOB शाखा अटरू हि0 देवकिशन आणदी बाई खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
159 दक्षिण	1.41	नहरी	1 31.02
160 दक्षिण	0.05	नहरी	1 1.10

161	0.37	नहरी 1	8.14
162	0.20	नहरी	4.40
483 / 158 पश्चिम	0.10	नहरी1	2.20
किता 5	2.13		46.86

तहसीलदार अटरू राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा  
करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

